(120)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

## समक्ष : एम0के0सिंह

## सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 616/1994 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–1994 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 194/1992–93 अपील

रामसेवक पुत्र नृपति रावत
ग्राम सुनवई तहसील विजयपुर
जिला मुरैना,मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

रामदयाल पुत्र मनफूल काछी
ग्राम सुनवई तहसील विजयपुर
जिला मुरैना मध्य प्रदेश –– अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 194/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–3–94 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सुनवई के कोटवार मनफूल ने तहसीलदार विजयपुर को प्रार्थना पत्र देकर मांग की कि वह वृद्व हो चुका है इसलिये ग्राम के कोटवार पद पर उसके पुत्र

रामदयाल को नियुक्त कर दिया जाय। तहसीलदार विजयपुर ने प्रकरण क्रमांक 2/1992-93 अ-56 पंजीबद्ध किया एंव कोटवार नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक रामसेवक ने भी कोटवार पद की उम्मीदवारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार व्दारा पुलिस थाने से दोनों उम्मीदवारों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट मंगाने पर अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 314, 336, 506 बी का आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रतिवेदित किया, जिस पर से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12-1-93 पारित करके आवेदक को कोटवार पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 10/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-4-93 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 194/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-94 से अपील स्वीकार की गई एंव कोटवार पद पर अनावेदक को नियुक्ति प्रदान की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर ने तहसीलदार विजयपुर के आदेश दिनांक 12-1-93 एंव अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के

आदेश दिनॉक 27-4-93 को इस आधार पर निरस्त किया है कि अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 314, 336, 506 बी का आपराधिक प्रकरण केवल पुलिस थाने में पंजीबद्ध है दांडिक न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिये उसे इन धाराओं का दोषी मानकर कोटवार पद के अनर्ह नहीं माना जा सकता। अपर आयुक्त व्दारा इस सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष अनुमानों के आधार पर त्रृटिपूर्ण है क्योंकि जब अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 314, 336, 506 बी का आपराध पुलिस थाने में पंजीबद्ध है, और आपराधिक प्रकरण पुलिस थाने में तभी पंजीबद्ध किया जाता है जब अनावेदक का किसी पक्षकार से विवाद/ झगढ़ा हुआ हो। भले ही मान0दांडिक न्यायालय तक मामला किता नहीं किया गया, किन्तु आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से अनावेदक को अच्छे चाल चलन का व्यक्ति तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह दांडिक न्यायालय से अनावेदक निर्दोष नहीं ठहरा दिया जावे। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण में अपर आयुक्त व्दारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है। कोटवार व्दारा किये जाने वाले शासकीय कार्य निर्वाधरूप से चलते रहें, तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12-1-93 से ग्राम में कोटवार की बैकल्पिक/अस्थाई व्यवस्था की थी और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना था। वर्तमान में आदेश दिनांक 12-1-93 को व्यतीत हुये 23 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 314, 336, 506 बी का आपराधिक प्रकरण मान0 दांडिक न्यायालय से निराकृत भी हो चुका होगा, जिसके

कारण प्रकरण में स्थाई कोटवार पद की नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 194/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-94 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा प्रकरण कमांक 10/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-4-93 एंव तहसीलदार विजयपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2/92-93 अ-56 में पारित आदेश दिनांक 12-1-93 भी निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार विजयपुर को इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर संहिता की धारा 230 के अंतर्गत स्थाई कोटवार पद नियुक्ति की कार्यवाही करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर